

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 16 सन 2022

अनवान :-

1. आरिफ पुत्र जफरुला जाति खटीक साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सबनम पुत्री जफरुला जाति खटीक साकिन नोहर तहसील नोहर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956
उपरिस्थित :- श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :- 25/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 81/71 की कुल 12.8990हैक् में से 2764/64495 हिस्सा सायल संख्या 1 एव 2303/128990 हिरसा सायल संख्या 2 खातेदार काश्तकार है


प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण असारफ पुत्र जफरुला , फातमा पुत्री जफरुला दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम आरिफ पुत्र जफरुला एवं सबनम पुत्री जफरुला है यही नाम अन्य सभी दरतावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दरतावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थीगण का नाम आरिफ पुत्र जफरुला , सबनम पुत्री जफरुला दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 81/71 की कुल 12.8990हैक् में से 2764/64495 हिस्सा सायल संख्या 1 एव 2303/128990 हिस्सा सायल संख्या 2 खातेदार काश्तकार है में प्रार्थी संख्या 1 का नाम असारफ पुत्र जफरुला के स्थान पर आरिफ पुत्र जफरुला एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम फातमा के स्थान पर सबनम पुत्री जफरुला संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपरिस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दरतावेजात साक्ष्य सयुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 81/71 की कुल 12.8990हैक् में से 2764/64495 हिस्सा सायल संख्या 1 एव 2303/128990 हिस्सा सायल संख्या 2 खातेदार काश्तकार है


उपखण्डाधिकारी
नोहर

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण असरफ पुत्र जफरुला , फातमा पुत्री जफरुला दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का राही नाम आरिफ पुत्र जफरुला एवं सबनम पुत्री जफरुला है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थीगण का नाम आरिफ पुत्र जफरुला , सबनम पुत्री जफरुला दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुक्तों के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 81/71 की कुल 12.8990 हैक्टर में से 2764/64495 हिस्सा सायल संख्या 1 एव 2303/128990 हिस्सा सायल संख्या 2 खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का नाम असरफ पुत्र जफरुला व प्रार्थी संख्या 2 का नाम फातमा पुत्री जफरुला दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम आरिफ पुत्र जफरुला व सबनम पुत्री जफरुला है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम आरिफ पुत्र जफरुला व सबनम पुत्री जफरुला दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बन्ध में स्वयं एवं परिवार का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार के द्वारा ऐतराज नहीं के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सयुक्तों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 81/71 की कुल 12.8990 हैक्टर में से 2764/64495 हिस्सा सायल संख्या 1 एव 2303/128990 हिस्सा सायल संख्या 2 खातेदार काश्तकार है में प्रार्थी संख्या 1 का नाम असरफ पुत्र जफरुला अंकित है के स्थान पर असरफ उर्फ आरिफ पुत्र जफरुला एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम फातमा पुत्री जफरुला अंकित है के स्थान पर फातमा उर्फ सबनम पुत्री जफरुला संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना बहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (हममामगढ)
नाहर

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 16/2022 अनवानी आरिफ बनाम सरकार में पारित
निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. आरिफ पुत्र जफरुला जाति खटीक निवासी नोहर तहसील नोहर
जिला हनुमानगढ़।
2. सबनम पुत्री जफरुला जाति खटीक निवासी नोहर तहसील
नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला
हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुरती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 16/2022 अनवानी आरिफ बनाम
सरकार में दिनांक 25/03/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर रोही मौजा चक देईदारापुरा के खाता संख्या 81/71 की कुल 12.8990 हैक् में से
2764/64495 हिरसा सायल संख्या 1 एवं 2303/128990 हिरसा सायल संख्या 2 खातेदार
काश्तकार है मे प्रार्थी संख्या 1 का नाम असरफ पुत्र जफरुला अंकित है के स्थान पर असरफ
उर्फ आरिफ पुत्र जफरुला एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम फातमा पुत्री जफरुला अंकित है के स्थान
पर फातमा उर्फ सबनम पुत्री जफरुला संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदनुसार
राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)